प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रितिंकर दिवाकर

दाण्डिक अपील क्रमांक: 767/2002

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अपीलार्थी</u>: बरातूराम वर्मा

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 13-05-2011 को अपराह्न 3:30 बजे सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-
प्रितिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रितिंकर दिवाकर

दाण्डिक अपील क्रमांक: 767/2002

<u>अपीलार्थी</u>: बरातूराम वर्मा

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन दाण्डिक अपील)</u>

<u>उपस्थिति</u>:

श्री पी.के. वर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री विवेक शर्मा, अपीलार्थी की ओर से।

श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (1) के अंतर्गत दांडिक अपील

<u>निर्णय</u>

(13.05.2011)

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा विशेष मामला क्रमांक 1/2000 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.7.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13 (1) (घ) सहपठित धारा 13 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसे धारा 7 के अंतर्गत छह माह के कठोर कारावास तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (घ)/ 13(2) के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, साथ ही व्यतिक्रम की शर्तें अधिरोपित की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 11.11.1998 को अभियुक्त/अपीलार्थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पामगढ़, जिला बिलासपुर के रूप में कार्यरत था और शिकायतकर्ता विश्वनाथ गढ़ेवाल (अभियोजन साक्षी-4) ग्राम पंचायत, सिल्ली में पंच के पद पर आसीन था, जबकि उसकी पत्नी रेवती बाई (अभियोजन साक्षी-12) उक्त ग्राम पंचायत की सरपंच थी। यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 7.11.1998 को पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त के समक्ष एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-2) प्रस्तुत की थी कि अभियुक्त/अपीलार्थी ग्राम पंचायत की राशि स्वीकृत करने के बदले 3000 रुपये की मांग कर रहा था। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग के संबंध में बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए शिकायतकर्ता को टेप रिकॉर्डर और कैसेट दी गई। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि दिनांक 8.11.1998 को शिकायतकर्ता अभियुक्त/अपीलार्थी के

घर आया और जब मांग की गई, तो उसने बातचीत रिकॉर्ड की और तत्पश्चात दिनांक 10.11.2008 को वह वापस लोकायुक्त कार्यालय गया, एक नवीन लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) प्रस्तुत की और उक्त शिकायत तथा कैसेट प्राप्त होने के बाद, पुलिस ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (बिना नंबर वाली) (प्रदर्श पी-6) दर्ज की। दिनांक 11.11.1998 को निरीक्षक (लोकायुक्त) बी.के. पवैया (अभियोजन साक्षी-10) के नेतृत्व में एक ट्रैप दल का गठन किया गया, जिसमें दो स्वतंत्र गवाहों, जे.आर. भगत और बी.एस. वर्मा (दोनों तहसीलदार), को बुलाया गया। कैसेट में रिकॉर्ड की गई बातचीत का प्रतिलेखन (प्रदर्श पी-4) तैयार किया गया और 100 रुपये मूल्यवर्ग के 30 नोटों जिन्हें शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया था पर फिनोलफथलीन पाउडर लगाकर परीक्षण की प्रक्रिया समझाई गई। इसके बाद ट्रैप दल सुबह लगभग बजे अपीलार्थी के कार्यालय पहुँचा, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी के कक्ष में प्रवेश किया और उसे 3000 रुपये की रिश्वत राशि दी। बातचीत को टेप रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किया गया जिसका प्रतिलेखन प्रदर्श पी-9 है। शिकायतकर्ता से संकेत मिलने पर, ट्रैप दल ने अभियुक्त/अपीलार्थी के कक्ष में प्रवेश किया और 3000 रुपये की रिश्वत राशि जब्त कर ली। तत्पश्चात, ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी-11) तैयार किया गया, फिनोलफथलीन परीक्षण किया गया जो एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) के अनुसार सकारात्मक पाया गया और दिनांक 13.11.1998 को अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-17) दर्ज की गई। स्वीकृति (प्रदर्श पी-30) प्राप्त करने के पश्चात,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 29.3.2000 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(घ) और 13(2) के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 12 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी दर्ज किया गया जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक् किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में एक अश्वनी कुमार सिदार (बचाव साक्षी-1) का भी परीक्षण कराया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह बचाव लिया है कि उसने सिल्ली से जोगीकापा तक सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पाइप खरीदने हेतु शिकायतकर्ता से अग्रिम के रूप में 3000 रुपये की राशि स्वीकार की थी। उसके अनुसार, विधानसभा चुनाव नजदीक थे लेकिन बिलासपुर और जांजगीर में पाइपों की अनुपलब्धता के कारण सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था। उसने कहा है कि सरपंच ने उससे रायपुर या कहीं और से पाइपों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। सरपंच के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने पति के माध्यम से अग्रिम के रूप में 3000 रुपये देने का वादा किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षों को सुनने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया है।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी ने इस मामले में अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार कभी भी किसी रिश्वत की मांग नहीं की थी। उनका तर्क है कि जनपद पंचायत पामगढ़ में अनेक कार्य किए जा रहे थे और कलेक्टर का यह आदेश था कि विधानसभा चुनावों से पहले सभी अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए। उनका तर्क है कि इसी अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सिल्ली की सरपंच रेवती बाई (अभियोजन साक्षी-12) ने उनसे पाइपों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था क्योंकि सिल्ली से जोगी कापा तक सड़क और पुलिया का निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। उनका यह भी तर्क है कि सरपंच ने अभियुक्त/अपीलार्थी को यह भी बताया था कि 3000 रुपये की राशि या तो उसके द्वारा या उसके पति यानी वर्तमान शिकायतकर्ता के माध्यम से भेजी जाएगी और घटना की तारीख को ही पाइप खरीदने के लिए उनके द्वारा यह राशि प्राप्त की गई थी। उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष अवैध परितोषण की मांग को साबित करने में विफल रहा है, जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 या 13(1)(घ) और 13(2) के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अनिवार्य शर्त है और इसे साबित किए बिना अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। उनका तर्क है कि यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के अनुसार उपधारणा की भी जाती है, तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर अपना मामला स्थापित कर दिया है कि उसने यह राशि अवैध परितोष के रूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में स्वीकार नहीं की थी। उनका तर्क है कि यहाँ तक कि शिकायतकर्ता ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि यहाँ तक कि शिकायतकर्ता की पत्नी रेवती बाई (अभियोजन साक्षी-12) ने भी स्पष्ट रूप से यह गवाही दी है कि पुलिया और सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पाइप खरीदने हेतु अभियुक्त/अपीलार्थी को अग्रिम के रूप में 3000 रुपये की राशि दी गई थी। उनका तर्क है कि लिखित शिकायत के अतिरिक्त, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा की गई मांग को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसके अभाव में अभियोजन का पूरा मामला विफल हो जाता है। उन्होंने बचाव पक्ष के साक्षी के बयान का हवाला दिया, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि कलेक्टर का आदेश था कि विधानसभा चुनावों से पहले सड़क और पुलिया का पूरा निर्माण कार्य पूरा किया जाए और चूंकि जांजगीर और बिलासपुर में पाइप उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सरपंच ने अपीलार्थी से पाइपों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था और उसके लिए अग्रिम के रूप में 3000 रुपये की राशि दी गई थी। उन्होंने **बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य (2010) 4 एससीसी 450** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध एक उपधारणा है क्योंकि राशि की स्वीकृति उनके द्वारा विवादित नहीं की गई है और इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 (1) के प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी दोषसिद्ध होने के पात्र हैं। उनका तर्क है कि जिस क्षण

अपीलार्थी ने 3000 रुपये की राशि प्राप्त की, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध बनता है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा एक अत्यंत असंभव बचाव लिया गया है कि उन्हें गांव की सरपंच द्वारा सड़क और पुलिया के निर्माण के लिए पाइपों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। उनका तर्क है कि पाइप खरीदना अभियुक्त/अपीलार्थी का कर्तव्य नहीं था और न ही वह सड़क या पुलिया के निर्माण के लिए पाइप उपलब्ध कराने के लिए बाध्य थे। उनका तर्क है कि अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है जो यह दर्शाता हो कि सरपंच या पंच ने कभी भी अभियुक्त/अपीलार्थी से उनकी ओर से पाइप खरीदने के लिए कहा था। उनका तर्क है कि यदि अभियुक्त/अपीलार्थी ने गांव की सरपंच की ओर से पाइप खरीदने का कोई प्रयास किया होता, तो संबंधित दस्तावेज जांच अधिकारी को सौंपे जाने चाहिए थे जिससे उनके सामने सही तथ्य आ सकें। उनका तर्क है कि प्रदर्श डी-2 से डी-5 तक के दस्तावेज गढ़े गए दस्तावेज हैं और वे बाद में सोच-समझकर तैयार किए गए के अलावा और कुछ नहीं हैं। उन्होंने जगन्नाथ राम भगत (अभियोजन साक्षी-9) के बयान के कंडिका 15 का हवाला दिया और तर्क दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने ट्रैप दल को कभी नहीं बताया कि 3000 रुपये की राशि रिश्वत की राशि नहीं है और यह पाइप खरीदने के लिए थी। उन्होंने छाया साक्षी मीनाराम (अभियोजन साक्षी-3) के बयान के कंडिका 13 का हवाला दिया जहां उसने कहा है कि अभियुक्त अभियुक्त ने कभी किसी को नहीं बताया कि 3000 रुपये की राशि उनके द्वारा पाइप खरीदने के लिए स्वीकार की गई थी। उनका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तर्क है कि यद्यपि शिकायतकर्ता को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-2) उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होने और उप पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) (अभियोजन साक्षी-7) द्वारा पृष्ठांकित होने के बाद बनाई गई थी और तत्पश्चात उसे श्री पवैया को चिन्हित किया गया था। उनके अनुसार, एक बार जब इन दस्तावेजों की सत्यता निर्विवाद है, तो अभियोजन द्वारा मांग साबित हो जाती है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव संभावित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आर. बुधविशाल (अभियोजन साक्षी-1) – लोकायुक्त (पुलिस) के कार्यालय में कार्यरत पुलिस आरक्षक ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने रासायनिक घोल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर पहुँचाया और प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 प्राप्त की। राम साई राम (अभियोजन साक्षी-2) – एक अन्य पुलिस आरक्षक ने ट्रैप के पूर्व कार्यवाही की तैयारी की थी। मीना राम (अभियोजन साक्षी-3) – लोकायुक्त (पुलिस) के कार्यालय में प्रधान आरक्षक ट्रैप दल का सदस्य था जिसने ट्रैप के पूर्व की कार्यवाही तैयार की और ट्रैप कार्यवाही में भाग लिया। विश्वनाथ गढ़ेवाल (अभियोजन साक्षी-4) यहाँ शिकायतकर्ता है जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अपीलार्थी को जानता था जो जनपद पंचायत, पामगढ़ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्यरत था। इस साक्षी के अनुसार, वह ग्राम पंचायत सिल्ली का पंच था जबकि उसकी पत्नी रेवती बाई (अभियोजन साक्षी-12) उक्त ग्राम पंचायत की सरपंच थी। उसने कहा है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को आवंटित कार्य

उसकी पत्नी की ओर से उसके द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे, जो सुसंगत समय पर सरपंच का पद धारण कर रही थी। उसने कहा है कि निर्माण कार्य का कुछ हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था लेकिन पुलिया के निर्माण को पूरा करने के लिए पाइप खरीदे जाने थे और उसकी पत्नी ने अग्रिम के रूप में पैसे दिए थे लेकिन वह इससे अनभिज्ञ था। उसने कहा है कि उसकी पत्नी ने उसे 3000 रुपये अपीलार्थी को सौंपने के लिए कहा था लेकिन गलतफहमी के कारण उसने लोकायुक्त को आवेदन दे दिया कि अपीलार्थी 3000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। उसके अनुसार, दिनांक 7.11.1998 को उसने एक लिखित आवेदन प्रदर्श पी-2 दिया, उसे लोकायुक्त के कार्यालय से टेप रिकॉर्डर और कैसेट प्रदान की गई, पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया, वह उक्त टेप रिकॉर्डर अपीलार्थी के घर ले गया और उनके बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड करने के बाद उसने दो दिनों के बाद कैसेट लोकायुक्त के कार्यालय में वापस कर दी। इसके पश्चात, इस साक्षी ने आगे की घटना का वर्णन किया है जिसमें ट्रैप भी शामिल है। उसने यह बयान दिया है कि ट्रैप कार्यवाही की सफल समाप्ति के बाद, अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के अलावा, उसके हाथ धोए गए और घोल का रंग गुलाबी हो गया। उसने यह भी कहा है कि जब वह अपने घर पहुँचा, तो उसे पता चला कि उसके द्वारा दी गई राशि पाइप खरीदने के लिए थी। उसने यह बयान दिया है कि चूंकि सड़क और पुलिया का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था और तदनुसार, अपीलकर्ता ने उसे कार्य तुरंत पूरा करने के लिए कहा था क्योंकि वह (अभियुक्त) विधानसभा में इसके लिए जवाबदेह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था। उसने यह बयान दिया है कि जांजगीर और बिलासपुर में पाइप उपलब्ध नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य रुक गया था और उसकी पत्नी ने उससे पूछा था कि उसने क्या बड़ी गलती कर दी है क्योंकि 3000 रुपये की राशि अभियुक्त/अपीलकर्ता को पाइप खरीदने के लिए दी गई थी। उसने यह भी कहा है कि चूंकि वह इस धारणा में था कि अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि मांगी गई थी, इसलिए उसके द्वारा गलतफहमी के कारण शिकायत की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"रामेश्वर प्रसाद साहू (अभियोजन साक्षी-5), जो सुसंगत समय पर जनपद पंचायत पामगढ़ में लेखापाल के रूप में कार्यरत थे, उक्त जनपद पंचायत की खाता बही की जब्ती के गवाह हैं। खेलन राम साहू (अभियोजन साक्षी-6) वह पटवारी है जिसने नजरी नक्शा प्रदर्श पी-16 तैयार किया था। श्याम दास (अभियोजन साक्षी-7) वह पुलिस उपाधीक्षक है जिसे शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रदर्श पी-2 की गई थी और जिसने उसे बी.के. पवैया (अभियोजन साक्षी-10) को अग्रेषित किया था। अलेक्जेंडर एक्का (अभियोजन साक्षी-8) वह गवाह है जिसने देहाती नालिशी प्रदर्श पी-6 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 दर्ज की थी। जगन्नाथ राम भगत (अभियोजन साक्षी-9) वह गवाह है जो सुसंगत समय पर तहसीलदार के रूप में कार्यरत था और ट्रैप गवाहों में से एक है, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हुए कहा है कि उसके द्वारा तहसीलदार डी.एस. वर्मा की उपस्थिति में शिकायतकर्ता को शिकायत पढ़कर सुनाई गई थी और शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया था कि शिकायत उसके द्वारा दी गई है। इसके बाद, इस गवाह के

अनुसार, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ट्रैप सफलतापूर्वक किया गया था।

बी.के. पवैया (अभियोजन साक्षी-10) वह विवेचना अधिकारी है जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है। अपने कथन की कंडिका नंबर 75 में उसने स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत सिल्ली की सरपंच, रेवती बाई, शिकायतकर्ता की पत्नी है। उसके अनुसार, अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले, उसने उसका बयान दर्ज किया था जिसमें उसने खुलासा किया था कि उसे पुलिया के निर्माण कार्य के लिए पाइप खरीदने हेतु अग्रिम के रूप में 3000/- रुपये दिए गए थे। उसने कहा है कि इस बिंदु पर उसने न तो कोई ध्यान दिया और न ही कोई विवेचना की। कंडिका 73 में उसने स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत सिल्ली की सरपंच ने अपीलकर्ता से प्रदर्श डी-2 के माध्यम से पुलिया के निर्माण कार्य के लिए पाइप खरीदने का अनुरोध किया था। पी.के. स्वामी (अभियोजन साक्षी-11) प्रदर्श पी-30 के माध्यम से अपीलकर्ता पर अभियोजन चलाने की मंजूरी का गवाह है। रेवती बाई (अभियोजन साक्षी-12) — जो शिकायतकर्ता (अभियोजन साक्षी-4) की पत्नी है — ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह 1994 से 2000 तक ग्राम पंचायत सिल्ली की सरपंच थी और वह अपीलकर्ता को जानती थी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्यरत था। उसने कहा है कि वह निर्माण कार्य के बदले प्राप्त धन में से कमीशन नहीं दिया करती थी। उसने आगे स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी कमीशन के रूप में धन की मांग नहीं की गई थी। इस स्तर पर, इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालाँकि, उसने कहा है कि उसके द्वारा शिकायतकर्ता को 3000 रुपये अपीलकर्ता को सौंपने के लिए दिए गए थे, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण शिकायतकर्ता ने पुलिस को मामले की सूचना देते हुए कहा कि अपीलकर्ता द्वारा 3000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। उसने आगे इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि बीच में आने वाली पुलिया के लिए पाइप उपलब्ध नहीं थे और इसलिए अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे उक्त कार्य को तुरंत पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कहा था क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे थे। उसके अनुसार, अपीलकर्ता ने उसे यह भी सूचित किया था कि निर्माण कार्य पूरा न होने की स्थिति में कलेक्टर उसके और स्वयं अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इस पर उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता को बताया था कि चूंकि जांजगीर और बिलासपुर में पाइप उपलब्ध नहीं थे, इसलिए निर्माण कार्य रुका हुआ था और इस प्रकार उसने अपीलकर्ता से रायपुर से पाइपों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिसके लिए वह अपने पति के माध्यम से 3000 रुपये भेजेगी। परंतु कुछ गलतफहमी के कारण उसके पति ने शिकायत कर दी कि अभियुक्त/अपीलकर्ता रिश्वत की मांग कर रहा था। इस गवाह के अनुसार, जैसे ही उसे अपने पति द्वारा की गई शिकायत और उसके बाद अभियुक्त/अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में पता चला, उसने उसे डांटा और फिर उसके पति ने कलेक्टर और पुलिस को प्रदर्श डी-1 पत्र लिखकर सही तथ्यों का उल्लेख किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अश्वनी कुमार सिदार (बचाव पक्ष साक्षी-1) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि वह जनपद पंचायत पामगढ़ में ग्राम सहायक के रूप में कार्यरत था और

ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए राशि ब्लॉक पामगढ़ से विकास खंड अधिकारी के पर्यवेक्षण में आवंटित किया जाता था। भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी चेक के माध्यम से होता था। उसने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर के आदेश पर अपीलकर्ता ने सरपंच रेवती बाई को एक सप्ताह में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया था। सरपंच ने पाइप उपलब्ध न होने की समस्या बताई और रायपुर से पाइप की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जिसका खर्च वह स्वयं वहन करने वाली थी। इसके तुरंत बाद, अभियुक्त/अपीलकर्ता ने विकास खंड अधिकारी से कोटेशन मँगाने को कहा। गवाह स्वयं बी.डी.ओ. श्री ठाकुर के साथ रायपुर गया और 2-3 दुकानों से कोटेशन लाकर अपीलकर्ता को सौंपे। उसने बताया कि कोटेशन सौंपने से पहले ही यह घटना घटित हो गई थी और उसने ट्रैप दल के अधिकारियों को वे कोटेशन दिखाए थे, जिन्हें उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। वे कोटेशन प्रदर्श डी-3, डी-4 और डी-5 हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मामले के तथ्यात्मक पहलुओं का व्यापक विश्लेषण और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 7 या 13 (1) (घ) और 12 (2) के तहत किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए बुनियादी तत्वों में से एक 'अवैध परितोषण' की मांग है। दुर्भाग्यवश, इस मामले में अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। (अभियोजन साक्षी-4), जो कि शिकायतकर्ता है, के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वह अपनी पत्नी, (अभियोजन साक्षी-12), जो उस समय संबंधित ग्राम पंचायत की सरपंच थी, के कहने पर उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता को 3,000

रुपये सौंपे थे। परंतु, किसी गलतफहमी के कारण उसने लोकायुक्त को आवेदन दे दिया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता रिश्वत की मांग कर रहा था। हालांकि, शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अनुसार, घर पहुंचने के बाद उसे अपनी पत्नी (अभियोजन साक्षी-12) के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उक्त राशि अभियुक्त/अपीलकर्ता को रायपुर से पाइप खरीदने के लिए दी गई थी ताकि पुलिया का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके, क्योंकि वे जांजगीर या बिलासपुर में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, शिकायतकर्ता के साक्ष्य से, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा 'पक्षद्रोही' घोषित कर दिया गया है, यह स्पष्ट है कि इस गलत धारणा के अधीन कि अभियुक्त/अपीलकर्ता को दी गई राशि अवैध परितोषण के मद में थी, उसने लोकायुक्त को शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का यह कथन शब्दशः रेवती बाई, (अभियोजन साक्षी-12) द्वारा समर्थित है, जो सुसंगत समय पर संबंधित ग्राम पंचायत की सरपंच थीं। उन्होंने यह भी कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उनसे कमीशन आदि के रूप में कभी किसी राशि की मांग नहीं की थी। जहां तक अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा 3,000 रुपये स्वीकार करने का प्रश्न है, उन्होंने कहा कि चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले थे, इसलिए अपीलकर्ता ने उनसे सड़क का निर्माण कार्य उससे पहले पूरा करने को कहा था। जांजगीर और बिलासपुर में पाइप उपलब्ध न होने के कारण, उन्होंने अपीलकर्ता से रायपुर से पाइप की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था और उसका भुगतान उनके द्वारा किया जाना था। विचाराधीन राशि पाइपों की कीमत के रूप में थी, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण उनके पति (अभियोजन साक्षी-4) ने अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत मांगे जाने के संबंध में लोकायुक्त को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायत कर दी थी। इस साक्षी को भी, यद्यपि बाद के चरण में, अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। विवेचना अधिकारी, (अभियोजन साक्षी-10) ने हालांकि अभियोजन के मामले का समर्थन किया, लेकिन अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले उसका बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने खुलासा किया था कि उसे 3,000 रुपये पुलिया निर्माण कार्य के लिए पाइप खरीदने हेतु अग्रिम के रूप में दिए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अतः साक्षियों के साक्ष्य से, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा अवैध परितोषण की मांग के तथ्य को साबित करने में सफल नहीं रहा है। केवल धन की स्वीकृति, जो कि स्वीकार्य रूप से पुलिया के निर्माण हेतु पाइपों की कीमत के मद में थी और जिसे शिकायतकर्ता की पत्नी (जो उस समय संबंधित ग्राम पंचायत की सरपंच थीं) के अनुरोध पर अपीलकर्ता द्वारा खरीदा जाना था, के आधार पर अपीलकर्ता को इस विशेष प्रावधान के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ तक कि (बचाव साक्षी-1), अश्विनी कुमार सिदार, का साक्ष्य भी यह दर्शाता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता को 3,000 रुपये की अग्रिम राशि पुलिया निर्माण के लिए पाइप खरीदने हेतु दी गई थी और इसके लिए कोटेशन भी मंगवाए गए थे। इस प्रकार, इस मामले में अपीलकर्ता द्वारा लिया गया बचाव संभावित प्रतीत होता है। इस न्यायालय को यह ध्यान देना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस हद तक त्रुटि की है कि उसने केवल इस तथ्य से कि अभियुक्त से राशि बरामद हुआ था, अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृती की उपधारणा कर लिया। दण्ड

न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी अभियुक्त को केवल अनुमान के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से हो या फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से, यदि घटनाक्रम की प्रत्येक कड़ी स्थापित हो और अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करती हो। अभियोजन पक्ष को उस संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं ताकि वह उपयुक्त साक्ष्यों द्वारा समर्थित एक पूर्ण श्रृंखला की अनिवार्यताओं को संतुष्ट कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. विचाराधीन मामले में, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई थी। विधि की यह स्थापित स्थिति है कि अभियुक्त से केवल रंग लगी हुई राशि की बरामदगी उसे इस विशेष प्रावधान के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से तब जब अभिलेख पर मौजूद मुख्य साक्ष्य विश्वसनीय न हों।

12. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे स्थापित करने में सफल नहीं रहा है, और इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार न करने की विधिक त्रुटि की है।

13. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए

आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसके बंध पत्र पर उन्मोचित किए जाते हैं।

हस्ता/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI